GOMS/2025/1111

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

पप्पू .... बनाम .... तहसीलदार, ...

किस्म मुकदमा .... आवेदन धारा 136 एल आर एक्ट .... मु.नं. 595 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
24/12/2025	प्रार्थी पप्पू पुत्र श्योबक्सा राम जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी ग्राम नागवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 715 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि पूर्णमल पुत्र श्योबक्सा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि पप्पू पुत्र श्योबक्सा राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि पप्पू पुत्र श्योबक्सा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि पूर्णमल पुत्र श्योबक्सा के स्थान पर पप्पू उर्फ पूर्णमल पुत्र श्योबक्सा राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3100 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कासली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 715 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि पूर्णमल पुत्र श्योबक्सा के स्थान पर पप्पू उर्फ पूर्णमल पुत्र श्योबक्सा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3100 दिनांक 01.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (जिला–सीकर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:18:06 IST
Reason: SelfAttested